न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 04 / 2013 (उदयपुर डिक्री)

बहादुरसिंह स्वर्गीय मानसिंह जी राजपूत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भगवतसिंह पिता स्वर्गीय मानसिंह जी राजपूत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती दरियाव कुंवर पत्नी स्वर्गीय मानसिंह जी राजपूत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (मृतक) नाम हटाया गया
3. शम्भुसिंह पिता स्वर्गीय मानसिंह जी राजपूत, निवासी जाम्बुडा, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती भंवर कुंवर पुत्री स्व. मानसिंह जी पत्नी भगवतसिंह चौहान, निवासी नोलियावाडा, तहसील सांगवाडा, जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. भगवतसिंह राजपूत, निवासी नोलियावाडा, तहसील सांगवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4/2. दिग्विजयसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत, निवासी नोलियावाडा, तहसील सांगवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

4/3. श्रीमती माया पुत्री भगवतसिंह पत्नी हरेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी टामटिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/4. श्रीमती नीलु पुत्री भगवतसिंह पत्नी भोपालसिंह राजपूत, निवासी पाकर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. श्रीमती मोहन कुंवर पुत्री स्वर्गीय मानसिंह जी पत्नी किशनसिंह झाला, निवासी काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
दिनांक 10.12.2012 प्र.सं. 13/2002

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं. 1

3– श्री प्रदीप शर्मा अभिभाषक रे.सं.3

———

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता मानसिंह ने अपने पुत्र प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भगवतसिंह के विरूद्ध एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ संलग्न शिड्यूल ''क'' में वर्णित ग्राम जाम्बुडा की कुल खसरा 46 रकबा 60 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी की होकर उसके कब्जे काश्त की है, किन्तु प्रतिवादी जो वादी का पुत्र होकर अलग रहता है, जिसे वादी ने उसका हक हिस्सा दे दिया है तथा इन आराजियात में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नहीं होते हुए भी वादी को बेदखल करने पर उतारू है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि में से सिवाय आराजी नंबर 559, 561, 582 से 585 की शेष भूमि प्रतिवादी अकेले की है, जो इस भूमि के पूर्व जागीरदार ठाकुर उम्मेदसिंह द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत की गयी थी, तब से प्रतिवादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। वादी ने गलत तरीके ने नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया, जबकि कब्जा आज भी प्रतिवादी का ही चला आ रहा है। अतः काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 7 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–12–1993 से प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होना मानते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में अपील संख्या 11/1994 प्रस्तुत की गयी, जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 09–11–2000 से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–1993 अपास्त करते हुए तनकी संख्या 4 व 5 पर पुनः सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/2002 दर्ज रजिस्टर किया गया। दौराने कार्यवाही वादी मानसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–12–2012 से सभी पक्षकारान को मानसिंह का वारिस होने के आधार पर सभी को सहखातेदार मानते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप शर्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. बिना किसी आधार के स्वीकार कर वाद खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण आप न्यायालय द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना में निर्णय किये जाने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण मानसिंह के वारिस होने से सभी विवादित आराजियात के सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में मानसिंह की मृत्यु हो जाने से वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहने एवं सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के आधार पर वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। निर्विवाद है कि वादी मानसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested

ने अपने पुत्र प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भगवतसिंह के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही थी, किन्तु दौराने वाद कार्यवाही वादी मानसिंह की मृत्यु हो जाने से उसकी सम्पत्ति में उसके सभी वारिस अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण मानसिंह की सम्पत्ति में सहखातेदार हो गये तथा कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलान्ट का यह कथन कि न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है, किन्तु जब न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था, उस वक्त वादी मानसिंह जीवित था, लेकिन बाद में वादी की मृत्यु हो जाने से उसकी सम्पत्ति में उसके सभी विधिक वारिस सहखातेदार हो गये तथा वाद कारण स्वतः ही समाप्त हो गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त सभी तथ्यों का विवेचन करते हुए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–12–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

बहादुरसिंह पिता स्व. मानसिंह राजपूत, निवासी जाम्बुडा, तहसील व जिला सलुम्बर बनाम **भगवतसिंह पिता स्व. मानसिंह राजपूत, निवासी जाम्बुडा, तहसील व जिला सलुम्बर व अन्य**

अपील नं॰.....**04 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सलुम्बर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....10**.....माह.....**12**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा/प्रदीप शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–12–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested